Shiv Chhatrapati Shikshan Sanstha's
Rajarshi Shahu Mahavidyalaya (Autonomous), Latur

Research Advisory Committe & Intellectual Property Cell

National Education Policy : Exploration and Perspectives

: Edited By :

Dr. Mahadev Gavhane
Chief Editor

Dr. Suresh Phule
Editor

Dr. Kundan Tayade
Co-Editor

: Editorial Board :

Prof. Sadashiv Shinde (Vice-Principal)
Dr. Omprakash Shahapurkar (CoE)
Dr. Anuja Jadhav (HoD, English)
Dr. Sambhaji Patil (HoD, Marathi)
Dr. Pushpalata Trimukhe (HoD, Commerce)
Dr. Abhijit Yadav (IQAC, Coordinator)

National Education Policy : Exploration and Perspectives
Edited By : Dr. Mahadev Gavhane (Chief Editor)
Dr. Suresh Phule (Editor)
Dr. Kundan Tayade (Co-Editor)

ISBN 978-93-84572-64-8

Pravartan Publication
Sant Dyaneshwar Nagar,
LIC Colony, Latur

Copyright © Authors 2023

First Editon : 8 March 2023

Offset : Pavan Offset, Latur

Front Page Design : Viru Gulve

Price : Rs. 200/-

Note : All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the written permission of the publisher and theAuthor.

INDEX

1. Analysis of New Education Policy: 2020 05
Prof. Vinod D. Late
2. Curriculum Design and Development: A Vital component of the NEP's Achievement 11
Renuka Ramakant Londhe
3. National Education Policy 2020 : Advantages And Disadvantages For Students 19
D. V. Raje
4. National Education Policy 2020 and challenges before Higher Education 22
Dr. Prakash Ratanlal Rodiya,
Dr. Suresh J. Phule
5. NEP 2020: Impact and issues 31
Aman K. Shaikh
V. D. Panchal
6. Overview of Nep 2020 37
Dr. Prakash Ratanlal Rodiya
7. National Education Policy 2020: Skill Development and Vocational Education 42
Mr. Krishnkant Bhujang Walasange
8. New Education Policy 2020: A Comparison with 1986 Policy 47
Miss. Aakanksha Kashinath Balsaraf
9. National Education Policy overview and principles 55
Prof. Sampada Suresh Kale
10. New Education Policy and its Impact areas 61
Miss Jaya M. Nahata
11. Higher Education in NEP 2020 69
Dr. Sachin Bhandare

12. Challenges and Opportunities of New Education Policy 2020 75
Miss Juveriya Mahmood Shaikh
13. NEP 2020 for making "India hub of Global Knowledge with Superpower" 83
Laturiya Pooja S.
14. NEP 2020: Empowerment of Teachers Skill 92
K. B. Shinde
15. Exploration of Various Dimensions of New Education Policy (NEP): 2020 95
K. S. Raut, D. V. Raje, Kundan C. Tayade
16. Critical Analysis and a Glimpse of New Education Policy 100
Miss. Amruta Dinkar Savalsure
17. New Education Policy-2022:Rational for Employability Opportunities 107
Maroti Sayabu Sudewad
Kundan Chandramani Tayade
18. New Education Policy 2020- The Reform of the Regulatory System in Higher Education 112
N. S. Pimple
१९. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (२०२०) में भारतीय भाषाओं की महत्ता 115
प्रा. सूर्यकांत रामचंद्र चव्हाण
२०. राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के दृष्टि में भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) और संस्कृत ज्ञान प्रणाली (SKS) 123
सहाय्यक. प्रा.- विनय व्यंकट गायकवाड
२१. नवीन शैक्षणिक धोरण-२०२० व तंत्रज्ञान संस्था 129
डॉ. वितेश निकते, प्रा. ज्ञानेश्वर बनसोडे
२२. २०२० आभासी कि वास्तव 135
श्री नरसिंग जयसिंग शिंदे
डॉ.ओमप्रकाश व्ही.शहापूरकर

❑❑❑

1.
Analysis of New Education Policy: 2020

Prof. Vinod D. Late,
Assistant Professor,
Department of Commerce
Rajarshi Shahu Mahavidyalaya
(Autonomous), Latur

Abstract:

The National Education Policy 2020 looks into the education system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India that is Bharat. It was a long wait of 34 years for the country to see a New Education Policy 2020.On the 29th of July India saw the light of New Education Policy 2020 which received the approval of the Modi 2.0 government. In this new policy, there will be a 5+3+3+4 structure which comprises 12 years of school and 3 years of Anganwadi/ pre-school replacing old 10+2 structure. The NEP 2020 government is looking forward to making India a "global knowledge superpower" and it will be only done by making education system for schools and colleges more flexible, holistic, and multi-disciplinary which will bring out their unique capabilities.

Introduction:

The Government of India introduced the National Educational Policy (NEP) in 2020. The policy aims to achieve the set goals phase-wise with spirit and intent by the prioritization of action points in a comprehensive manner that entails careful planning, monitoring and collaborative implementation, timely infusion of requisite funds and careful analyses and reviewing at multiple implementation steps. Creation of a National Research Fund, incorporation of a new Higher Education Commission of India and investments of an amount equivalent to 6% of the

velop a National Higher Education Qualification Framework (NHEQF) that will be in line with the National Skills Qualifications Framework (NSQF). The NHEQF shall be used to characterize higher education credentials leading to a degree, diploma, or certificate based on these educational objectives.

Existing institutions and systems will need to evolve and reinvent themselves in order to accommodate such a change. Every vertical within HECI would adopt a new ., singular position that is pertinent, substantial, and meaningful under the new regulatory framework as a result of the separation of duties.

The regulatory framework will also make it much simpler to establish new, high-quality HEIs while effectively guaranteeing that they were founded with the intention of providing public service and with adequate funding for long-term stability. The central and state governments will support HEIs that are excelling in order to help them grow and add more students, professors, fields, and programmes. To further increase access to top-notch higher education, models of cooperative philanthropy for HEIs might also be tried.

References:

1. NEP 2020 and desired attributes of teachers: Sentinel Digital Desk, Aug 2021. https://www.sentinelassam.com/editorial/nep-2020-and-desired-attributes-of-teachers-550398https://www.sentinelassam.com/editorial/nep-2020-and-desired-attributes-of-teachers-550398.
2. NEP 2020 and Reforms for Teachers: Ramesh Pokhriyal 'Nishank', Union Minister of Education at Government of India, March 2021.
3. NEP 2020: Integrated Teacher Education Programme, https://www.collpoll.com/blog/teacher-education-in-nep-2020/

❑❑❑

१९.
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (२०२०) में भारतीय भाषाओं की महत्ता

प्रा. सूर्यकांत रामचंद्र चव्हाण
हिंदी विभाग
राजर्षि शाहू महाविद्यालय (स्वायत्त), लातूर
दूरभाष- ९९२१७०८१७२

बीज शब्द - राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मातृभाषा, अतीत गौरव, विश्व गुरू, अंग्रेजी, उच्च शिक्षा, भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा, बौद्धिक विकास, बहुभाषावाद, राष्ट्रीय एकता, भाषा सौहार्द, राष्ट्र अभिमान, त्रि-भाषा सूत्र, आदि।

''बोलते बोलते एकाएक
मुझे अपनी आवाज पुराने दासों की तरह लगी
मुझे एकाएक लगा कि यह अधीनों की भाषा है
जिसमें मैं सोच रहा हूँ और बोल रहा हूँ।''[१] राजेश जोशी

मानव समुदाय के लिए भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि उस भाषा भाषी समुदाय के राष्ट्र के स्वाभिमान तथा उसकी प्राचीन संस्कृति की संवाहिका भी होती है। गुलाम देशों की अपनी कोई भाषा नहीं होती। वे अपने शासकों की बोली बोलने के लिए विवश होते हैं। देश की आज़ादी से कहीं अधिक अच्छा है कि उस देश कि भाषा आज़ाद हो क्योंकि देश की वर्तमान पीढ़ी के बौद्धिक विकास में भाषा की अहम भूमिका होती है। इसीलिए देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद बीबीसी के संवाददाता ने गांधीजी से संदेश देने के लिए कहा तो वे तपाक्? से बोले, ''दुनिया से कह दो गांधी अंग्रेजी भूल चुका है।''[२] भाषा के बिना देश गूंगा होता है। शब्दों की ज्योति ही पूरे संसार को अंधकार से मुक्ति देती है। भाषा जिज्ञासुओं के लिए ज्ञान के रास्तों को खोलती है। लेकिन आज तक हम

अपने देश को स्वतंत्रता मिलने के बावजूद भी अंग्रेजी पर ही अति-निर्भर रहे हैं। अंग्रेजी भाषा ज्ञान के अभाव कारण गाँव-कस्बों एवं शहरों तक के विद्यार्थियों को विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान से वंचित रहना पड़ता है। आज भी उच्च शिक्षा में प्रवेश के समय अंग्रेजी पाठ्यक्रम एवं अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता और प्रादेशिक भाषा में पाठ्यपुस्तकों में अभाव के कारण विज्ञान एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों से दूरी बना लेता है। यह हमारी शिक्षा एवं भाषा नीति की विफलता है। उपरोक्त राजेश जोशी की काव्य पंक्तियाँ इसी आशय को अभिव्यक्त करती हैं। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहें हैं इसके बावजूद भी भाषा की इस दुरुहता के कारण हमारी बहुत सी प्रतिभाओं को सामने आने का मौका नहीं मिल पा रहा है।

विश्व के इतिहास को खंगोलें तो अनेक देशों ने गुलामी से आजादी मिलने के बाद अपनी ही भाषा के दम पर अपनी प्रगति का मार्ग चुना। इजराइल ने हिब्रू भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा बनाया और आज वह देश तकनीक के क्षेत्रों में हमसे बहुत आगे है। रूस ने रशियन, चीन ने चीनी और जापान ने जापानी आदि देशों ने अपनी ही भाषा को शिक्षा-दीक्षा तथा राजकाज की भाषा माध्यम बनाया। अपने देश मात्र इसके लिए अपवाद रहा है। औपनिवेशिक दासता से मुक्ति के बाद एक प्राचीन राष्ट्र होते हुए भी अंग्रेजी यहाँ राजकाज एवं संपर्क की भाषा बनी हुई है। यहाँ तक तो ठीक था किंतु शिक्षा के माध्यमों में अंग्रेजी कायम बनी रही। अंग्रेजों के जाने के बाद भी अंग्रेजी का सिक्का कायम बना रहा। हमारा देश एक बहुभाषिक राष्ट्र होने के बावजूद भी आज भी प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर अदालतों एवं अनेक क्षेत्रों तक में विदेशी भाषा का प्रयोग किया जाता रहा है, यही अपनी सबसे बड़ी विडंबना है। आज भी गांवों-कस्बों के युवा अपनी ही भाषा के प्रति हीनता बोध से ग्रसित दिखाई देते हैं।

किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए उस देश की शिक्षा नीति का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के मौजद सरकार ने नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिये पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने

अध्ययन कर मई २०१९ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (२०२०) यह वर्ष १९६८ और वर्ष १९८६ के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, जिसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय भाषा को अधिक महत्व दिया गया है। इस शिक्षा नीति की महत्ता और उससे उम्मीद करते हुए इस मसौदा के परिचय में ही स्पष्ट किया गया है कि ''भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति के प्रति सम्मान रखते हुए और साथ ही देश की स्थानीय और वैश्विक संदर्भ में आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए होना चाहिए। भारत के युवाओं को देश के बारे में और इसकी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आवश्यकताओं सहित यहाँ की अद्वितीय कला, भाषा और ज्ञान परंपराओं के बारे में ज्ञानवान बनाना राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग और एकता की दृष्टि से और भारत के सतत उँचाई की ओर बढ़ाने की दृष्टि से अति आवश्यक है।''[३] हमारे देश की आत्मा हमारी सांस्कृतिक और भाषिक विविधता में निहित है। जिसमें हमारी प्रादेशिक एवं मातृभाषाओं के संवर्धन हेतु बहुभाषिकत्व के अध्ययन-अध्यापन को प्रोत्साहित किया गया है- ''बहु-भाषिकता और अध्ययन-अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन।''[४] देने के दृष्टि से पहल की गई है।

नई शिक्षा नीति में किशोरावस्था तक मातृभाषा में ही शिक्षा देने की व्यवस्था बनाई गई है ताकि बचपन से ही छात्रों को अपने मौलिक ज्ञान परंपरा ज्ञान हो। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मौलिक विचार की अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही व्यक्त होती है क्योंकि उसका चिंतन का माध्यम मातृभाषा ही होती है। इसलिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए भी मातृभाषा का ही प्रयोग होना चाहिए। विदेशी भाषा सीखने के चक्कर में मौलिक विचार समाप्त न हो इस बात का भी ध्यान रखा गया है। मैकाले की शिक्षा नीति भारत के नहीं बल्कि अंग्रेजों के हित में थी। छात्र प्लेटो, अरस्तू, मैक्समूलर आदि को तो पढ़े किंतु भारत के कपिल, कणाद, गौतम, भास्कराचार्य, चाणक्य, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, सुब्रमण्यम भारती आदि तत्वचिंतकों को भी पढ़ें, इसलिए अनुच्छेद ४.११ में यह

स्पष्ट रूप से निर्देश है कि ''यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपने घर की भाषा/मातृभाषा में सार्थक अब धारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है।''[५] इसी सिद्धांत को महत्व प्रतिपादित करते हुए उसमें स्थानीय भाषा पर अधिक बल दिया गया है, ''जहाँ तक संभव हो, कम से कम ग्रेड पाँच तक, लेकिन बेहतर यह होगा कि ग्रेड आठ और उससे आगे भी हो, शिक्षा का माध्यम घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी। जिसके बाद घर/स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसके अनुपालना करेंगे।''[६]

संविधान की आठवीं सूची में त्रि-भाषा सूत्र को स्वीकार गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य दस वर्ष की स्कूली शिक्षा के साथ तीन भाषा के अध्ययन के लिए उपबंध करने का प्रावधान है। जिसके माध्यम से स्कूली शिक्षा में भाषा सौहार्दता तथा भाषाओं के बीच समानता को प्रोत्साहित करना है। नई शिक्षा नीति में बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए त्रि-भाषा सूत्र के क्रियान्वयन, मातृभाषा-स्थानीय भाषा में शिक्षण, विभिन्न विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षक एवं स्थानीय विशेषज्ञता को पाठशालाओं से जोड़ने पर बल दिया गया है। अनुच्छेद ४.१३ में प्रावधान किया गया है कि ''संवैधानिक प्रावधनों, लोगों, क्षेत्रों और संघों की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की जरूरत का ध्यान रखते हुए त्रि-भाषा सूत्र फॉर्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। हालांकि, तीन भाषा के इस फॉर्मूले में काफी लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी।''[७] अर्थात भाषा चयन में भी स्वतंत्रता होगी। देश का विद्यार्थी मात्र अपनी ज्ञान परंपरा में ही न अटका रहे बल्कि विश्व की ज्ञान परंपरा से भी वह अवगत रहे इसलिए अनुच्छेद ४.२० में स्पष्ट निर्देश है कि ''भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उच्चतर गुणवत्तावाले कोर्स के अलावा विदेशी भाषाएँ जैसे कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भी माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से

अध्ययन हेतु उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि विद्यार्थी विश्व संस्कृतियों के बारे में जानें और अपनी रूचियों और आकांक्षाओं के अनुसार अपनी वैश्विक ज्ञान को और दुनिया भर में घूमने-फिरने को सहजता से बढ़ा सकें।''[८] उच्चतर शिक्षा प्रणाली में भी भारतीय भाषाओं और द्विभाषी रूप का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद १४.४.२ (छ) में उल्लेखित है कि ''भारतीय भाषाओं और द्विभाषी रूप से पढ़ाए जानेवाले अधिक डिग्री पाठ्यक्रम विकसित करना।''[९] तथा उसे किस रूप में सुचारू ढंग से चलाया जाना है इसका भी वे अनुच्छेद २२.१० में प्रावधान करते हैं, ''अधिक उच्चतर शिक्षण संस्थानों तथा उच्चतर शिक्षा के और अधिक कार्यक्रमों में मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाएगा और/यह कार्यक्रमों को द्विभाषित रूप में चलाया जाएगा ताकि पहुँच और सकल नामांकन अनुपात दोनों में बढ़ोतरी हो सके, इसके साथ ही सभी भारतीय भाषाओं की मजबूती, उपयोग एवं जीवंतता को प्रोत्साहित मिल सके; मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने और/या कार्यक्रमों को द्विभाषित रूप में चलाने के लिए निजी प्रशिक्षण संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा एवं बढ़ावा दिया जाएगा।''[१०]

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्चतर गुणवत्तावाली सामग्री विकसित करने का संकल्प लिया गया है। भारतीय भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता की अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अनुवाद को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया है। इसके लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना का भी प्रस्ताव है। अनुच्छेद २२.१४ में इसे स्पष्ट किया गया है, ''सर्वसाधारण को विभिन्न भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाला अधिगम सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण लिखित एवं मौखिक सामग्री उपलब्ध हो सके। इसके लिए एक इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (आई आई टी आई) की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार का संस्थान देश के लिए महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करेगा। साथ ही अनेक बहुभाषी भाषा और विषय विशेषज्ञ तथा

अनुवाद एवं व्याख्या के विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा, जिससे सभी भारतीय भाषाओं को प्रसारित और प्रचारित करने में मदद मिलेगी।''[११] मसौदे में आगे भी भाषा शब्दकोश भंडार वृद्धि के लिए अनुच्छेद २२.१८ में भी निर्देश दिया गया है कि ''भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित की जाएगी, जिनमें हर भाषा से श्रेष्ठ विद्वान एवं मूल रूप से वह भाषा बोलनेवाले लोग शामिल रहेंगे ताकि नवीन अवधारणाओं का सरल किंतु सटीक शब्द भंडार तय किया जा सके तथा नियमित रूप से नवीनतम शब्दकोश जारी किया जा सके।''[१२]

देश की प्राचीन भाषा संस्कृत की विकास के लिए, इसे मुख्यधारा में लाने एवं भारत के गौरव में इस भाषा के महत्वपूर्ण योगदान के लिए इस भाषा को उच्च शिक्षा संस्थानों में ज्ञान-विज्ञान की भाषा के रूप में प्रयोग में लाने का सुझाव दिया गया है। अनुच्छेद २२.१५ में उल्लेख है कि ''संस्कृत भाषा के वृहद एवं महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न विधाओं एवं विषयों के साहित्य, सांस्कृतिक महत्त्व वैज्ञानिक प्रकृति के चलते संस्कृत को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए इसे मुख्यधारा में लाया जाएगा। स्कूलों में त्रि-भाषा फार्मूला के तहत एक विकल्प के रूप में, साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा में भी।''[१३] हिंदी के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निज भाषा अर्थात मातृभाषा को ही सभी क्षेत्रों की उन्नति का मूल माना है-

''निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटन न हिय के सूल।।''[१४]

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विलुप्तप्रायः ज्ञान परंपरा और विकास के हाशिए से कोसो दूर रहे आदिवासी समाज की भाषाओं के संवर्धन के लिए भी प्रावधान किया गया है। क्योंकि शास्त्रीय ज्ञान परंपरा और आदिवासी भाषा संस्कृति भी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद २२.१७ में स्पष्ट उल्लेख है कि ''शास्त्रीय, आदिवासी और लुप्तप्रायः भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के

प्रयास नए जोश के साथ किए जाएंगे। प्रौद्योगिकी क्राउडसोर्सिंग लोगों की व्यापक भागीदारी के साथ इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।''[१५] नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कला, संस्कृति और भाषा के माध्यम से मनुष्य की सृजनात्मक क्षमता को जागृत करने पर बल दिया गया है। उसके संवर्धन हेतु ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा दस्ताऐवज बनाकर संवर्धन करने की दृष्टि से प्रयास करने का भी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद २२.१९ इसी आशय को व्यक्त करता है- ''सभी भारतीय भाषाओं और उनसे संबंधित स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु सभी भारतीय भाषाओं एवं उनसे संबंधित स्थानीय कला एवं संस्कृति का वेब आधारित प्लेटफॉर्म/पोर्टल/विकिपीडिया के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाएगा।''[१६]

निष्कर्ष रूप में कहा जाय तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० में बड़ी शिद्दत के साथ पहली बार भाषा की ताकत पहचानते हुए भारत के संस्कार और संस्कृति को इस नीति के माध्यम से वाणी दी गई है। इस शिक्षा नीति में पहली बार शिक्षा में भाषा तथा भाषा की शिक्षा पर पूरा जोर दिया गया है । जहाँ भाषा को शिक्षा में मूल्य बोध निर्मित साधन माना गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा और भाषा संस्कार के महत्व को प्रतिपादित करते हुए आत्मशोध का प्रयास किया गया है। हमारा अतीत कितना गौरवशाली था, इसे इस शिक्षा नीति के माध्यम से सम्मान देकर पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया है। कभी किसी जमाने में भारत विश्वगुरू माना जाता था किंतु साम्राराज्यवादी नीतियों के बदौलत भारत की दासता के कारण सभी कुछ ध्वस्त हो गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके लिए नया अवसर निर्माण करती है। ये अवसर देश के उस भविष्य पर निर्भर है जो पाठशालाओं के कक्षाओं में भाषा के माध्यम से संस्कारित हो रहा है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि उदय प्रकाश 'एक भाषा हुआ करती है' इस कविता में इसी भाव को अभिव्यक्त करतें हैं -

''लेकिन देखो हर पाँचवें सेकेंड पर इसी पृथ्वी पर जन्म लेता है एक और बच्चा और इसी भाषा में भरता है किलकारी और कहता है माँ!''[१७]

संदर्भ ग्रंथ सूची

१. राजेश जोशी : प्रतिनिधि कविताएँ – राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली- ०२, पहला संस्करण २०१३, पृष्ठ १३६

२. राजभाषा हिंदी : समस्याएँ एवं समाधान – शशि नारायण, समाधान क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली- १५ प्रथम संस्करण २००४, पृष्ठ ९३

३. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (२०२०), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ ०५

४. वही, पृष्ठ ०७

५. वही, अनुच्छेद ४.११, पृष्ठ १९

६. वही

७. वही, अनुच्छेद ४.१३, पृष्ठ २०

८. वही, अनुच्छेद ४.२०, पृष्ठ २२

९. वही, अनुच्छेद १४.४.२ (छ), पृष्ठ ६७

१०. वही, अनुच्छेद २२.१०, पृष्ठ ८९

११. वही, अनुच्छेद २२.१४, पृष्ठ ८९-९०

१२. वही, अनुच्छेद २२.१८, पृष्ठ ९१

१३. वही, अनुच्छेद २२.१५, पृष्ठ ९०

१४. नवजागरण कवियों की पहचान हेमंत कुकरेती, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली-०२, प्रथम संस्करण २०१७, पृष्ठ २५

१५. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (२०२०), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, अनुच्छेद २२.१७, पृष्ठ ९१

१६. वही, अनुच्छेद २२.१९, पृष्ठ ९१

१७. पचास कविताएँ उदय प्रकाश, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली ०२, प्रथम संस्करण २०१२, पृष्ठ १२०

❑❑❑

२०.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के दृष्टि में भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) और संस्कृत ज्ञान प्रणाली (SKS)

सहाय्यक. प्रा.- विनय व्यंकट गायकवाड

संस्कृत विभाग

राजर्षि-शाहू-महाविद्यालय, (स्वायत्त) लातूर

ईमेल- vinayshrutg@gmail.com

संपर्क नं. ९५६१४०३९७१/८७८८६५१३८३.

१. प्रस्तावना :-

''विना प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते'' इस संदर्भ से यह ज्ञात होता है की आज जो कुछ भी प्रचलित है या आज तक जो कुछ भी हुआ है उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रयोजन है और रहेगा। इसी वैचारिक परंपरा को आत्मसात करते हुए प्राचीन ज्ञान पद्धति अथवा शिक्षा पद्धति का या आधुनिक शिक्षा पद्धत्ति का निर्माण हुआ है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है जिसमें ज्ञान -विज्ञान, लौकिक - पारलौकिक, कर्म - धर्म तथा भोग और त्याग का अद्भूत समन्वय रहा है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली जीवन के नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक मूल्यों पर केंद्रित होकर विनम्रता, सत्यता, अनुशासन, आत्मनिर्भरता सभी के प्रति सद्भावना जैसे मूल्यों पर जोर देती थी।

आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षण प्रणाली २०२० में भी इन विषयों का विचार ध्यानपूर्वक किया है। समय के परिवर्तन को देखकर आवश्यक ऐसीव्यावसायिक शिक्षा, प्रौद्योगिकी की उपयुक्तता आदि विषयों पर जोर दिया है । इसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली २०२० के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विद्याओं का किस प्रकार प्रयोग कर सकते है तथा हमारे प्राचीन ज्ञान को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए क्या विचार हो सकता है? इसका विचार करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० में भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) काप्रावधान